न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 50/2016/टीए

1. प्रेमलाल पुत्र माधुलाल ब्राह्म्ण
2. रामलाल पुत्र माधुलाल ब्राह्म्ण
   दोनो निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

–अपीलान्टस

बनाम

1. मथूरालाल पुत्र रामलाल ब्राह्म्ण
2. नन्दलाल पुत्र रामलाल ब्राह्म्ण
   दोनो निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. राज्य जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 16.05.2016 प्रकरण सं. 2360/2015

उपस्थित – 1. श्री बंशीलाल गर्ग – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 व 2

निर्णय दिनांक– 06.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम फलोदी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 662 अपीलान्ट एवं हमारी सहखातेदारी श्रीमती नन्दकंवर के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और रेवेन्यू रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे कोई रास्ता अंकित नही है तो अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी आराजी नम्बर के अन्दर नया रास्ता कायम करने मे वैधानिक भूल की है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की आराजीयात ग्राम फलोदी के रहने वाले है और मौजा फलोदी मे जो पक्षकारो की कृषि आराजीयात है। उसका रास्ता फलोदी से हमेशा से ही चला आ रहा है जिसका उपयोग हम पक्षकारान वर्षो से करते चले आ रहे है। ग्राम आमा से उक्त आराजीयात पर जाने का कोई रास्ता नही है इसलिये आराजी नम्बर 662 मे नये सिरे से रास्ता देने का प्रश्न ही पैदा नही हा तो है। आराजी नम्बर 646 किस्म पाल है जो ऊंची बनी हुई है जिससे पानी भरता है यदि पाल को तोड कर रास्ता निकाल देगे तो खेतो मे पानी भर जायेगा जिससे फसले नही बो पायेगे व फसलो का नुकसान होगा तालाब मे रास्तो देने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। ग्राम फलोदी की सीमा मे रेस्पोडेन्ट ने भूमि क्रय की है एवं रास्ता भी ग्राम फलोदी से ही सीधा उक्त आराजीयात पर जा रहा है अब रेस्पोडेन्ट ग्राम आमा से सीधा ग्राम फलोदी की आराजीयात पर जाना चाहते है जो हमारे

आराजी नम्बर 662 पर होकर जाना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षपात पूर्ण नीति अपनाकर पटवारी इन्सपेक्टर से रिपोर्ट लेकर रास्ता कायम करने का आदेश दे दिया, जबकि पटवारी इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी और एक तरफा बिना अपीलान्ट को जानकारी दिये रिपोर्ट बना दी जो विचारणीय नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10/12/2015 को तहसीलदार गंगरार से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई लेकिन तहसीलदार गंगरार मौके पर ही नही गये व पटवारी ने अपने मनमकसुद ढंग से रिपोर्ट बना दी जबकि विधि का यह सिद्वान्त है कि कमिश्नर अन्य को कमिश्नर नही बना सकता है। इसलिये यह रिपोर्ट बिना अधिकार के है जो विधि के विपरीत है। इस प्रकार एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय आदेश से अपीलान्ट को भारी किस्त का नुकसान पहूॅचने की संभवना हो गई है अपलीान्ट व उसके अधिवक्ता को लोक अदालत की की कोई जानकारी नही थी। काननून लोक अदालत मे पक्षकारो की इच्छा व भावनाओ के अनुसार राजीनामे मे प्रकरण निर्णित किये जाते है लेकिन इस प्रकरण मे तो बिना किसी प्रक्रिया के सीधे ही आवेदन स्वीकार करने मे भूल की है। 1/4 भूमि की खातेदारी श्रीमती नन्दकुंवर है और नन्दकुंवर को मृतक बताया है जो बिना उसके वारिसान को पक्षकार बनाये मृतक के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चलाई जा सकती है तथा मृतक के खिलाफ कोई आदेश नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने 1/4 राशि का भुगतान बैक ड्राफ्ट नन्दकंवर के नाम बनाने का आदेश पारित किया तो नन्दकंवर की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16/05/2016 निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 28/09/2015 को पेश हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 10/12/2015 को वकील श्री अर्जुनसिंह राणावत ने अधीनस्थ न्यायालय मे पावर पेश किया। दिनांक 28/04/2016 को पत्रावली मे पीठासीन अधिकारी के स्थान पर पेशकार द्वारा उल्लेख किया गया कि पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य मे व्यस्त है, पत्रावली कैम्प कोर्ट रघुनाथपुरा मे पेश हो। दिनांक 16/05/2016 को केवल प्रार्थी उपस्थित हुए तथा दिनांक 15/05/2016 को तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो गई तथा एक

तरफा फैसला कर रास्ता मंजुर कर दिया गया। मौके पर अपीलान्ट को आने का कोई नोटिस जारी नही किया गया। इसमे से एक खातेदार नन्दकंवर काफी समय पहले ही फौत हो गई। उसके खिलाफ भी निर्णय पारित कर दिया गया। ऐसी सूरत मे अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दिनांक 10/12/2015 को जब वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसी समय तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाने का उल्लेख है। जब वकील अप्रार्थी न्यायालय मे पेश हो गये थे तो भी उन्होने 5–6 माह तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। राजस्व शिविरो के द्वारा पत्रावली कैम्प मे ले जाकर निर्णय पारित कर दिया गया जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण रिकार्ड एवं परिस्थितियो की गहराई से जांच किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थी/अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 2360/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 16/05/2016 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ